जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमरा नम्बर–15 एम.बी, राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर- 302004
दुरभाष:+91-141-2569696 Extn. 7015

क्रमांक / जविप्रा / संस्थापन / लेखा / 2018–19 / डी– दिनांकः

बिड आमंत्रण सूचना

बिड संख्या– DC(Admn.)-01 / 2018–19

जयपुर विकास प्राधिकरण में अरबन प्लानर / वास्तुविद, जी.आई.एस. स्पेशलिस्ट एवं आटोकैड ऑपरेटर सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत कन्सलटेन्ट फर्मो से बोली आमंत्रित की जाती है जिसकी अनुमानित राशि रू. 213.11 लाख वार्षिक है। दिनांक 15.08.18 को सायंकाल 6:00 बजे तक ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा बोली का ऑनलाईन आवेदन व भुगतान जविप्रा पोर्टल पर करने की अंतिम तिथि 13.08.18 को सायं 6.00 बजे तक है। विस्तृत विवरण, जो कि निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है, अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व अथवा राजस्थान सरकार के उपापन पोर्टल www. sppp.raj.nic.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in एवं जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

निविदादाता को निविदा में भाग लेने हेतु आवश्यक है कि :–

1 जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर पंजीकृत हो। निविदा में भाग लेने के लिए बोलीदाता को आवेदन हेतु दस्तावेज शुल्क, बोली प्रतिभूति, आर.आई.एस.एल. प्रक्रिया शुल्क ऑनलाईन जमा करानी होगी।

2 ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान सरकार के ई–प्रोक्यूरमेंट पोर्टल www.eproc.rajasthan.gov.in पर पंजीकृत हो।

उपायुक्त (प्रशासन)
जविप्रा, जयपुर।
उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

Room No. MB-15, Ram Kishore Vyas bhavan, Indira Circle, JawaharLal Nehru Marg, Jaipur- 302004
Telephone:+91-141-2569696 Extn. 7015

No:- JDA/EST./ACTT./2018-19/D-   Date

NOTICE INVITING BID

NIB NO.: DC(Admn.)-01/2018-19

Online Bids are invited from Registered Consultant firms up-to 6:00 PM of 15.08.18 for Providing urban planners/Architects, G.I.S Specialist & Auto Cad Operator Services. estimated yearly cost of Rs 213.11 Lacs. The last date for Applying Bid and making online payment on JDA portal is up-to 6:00 PM of 13.08.18... Details may be seen in the Bidding Doucment at our office or the State Public Procurement Portal website www.sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in and www.jda.urban. rajasthan.gov.in.

To participate in the bid, bidder has to be :

1. Registered on JDA website www. jda.urban.rajasthan.gov.in,
   For Participating in the bid, the bidder has to apply for the bid and pay the Bidding Document Fee, RISL Processing Fee and bid security deposit, online only.
2. Registered on e-Procurement Portal of Government of Rajasthan www.eproc.rajasthan.gov.in for online e-Bid submission.

Deputy Commissioner (Admn.)
JDA, Jaipur
उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Detail NIB for uploading on SPP Portal, e-Procurment, JDA Protal & as part of NIB Document

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

Room No. MB-15, Ram Kishore Vyas bhavan, Indira Circle, JawaharLal Nehru Marg, Jaipur- 302004
Telephone:+91-141-2569696 Extn. 7015

No:- JDA/EST./ ACTT./2018-19/ Date:

NOTICE INVITING BID
NIB NO. : DC(Admn.)-01/2018-19

Name & Address of the Procuring Entity	➢ Name: Jaipur Development Authority ➢ Address: Deputy Commissioner (Admn), Room No. 15 Main Block, Ram Kishore Vyas bhawan, Indira Circle, JawaharLal Nehru Marg, Jaipur- 302004
Subject Matter of Procurement	➢ Providing urban planners/Architects, G I.S Specialist & Auto CAD Operator Services
Period	➢ For One year
Bid Procedure	➢ Single Stage Two Part open competitive eBid procedure at http://eproc.rajasthan.gov.in
Websites for downloading Bidding Document, Corrigendum's, Addendums, etc.	➢ Website: www.sppp.rajasthan.gov.in www.eproc.rajasthan.gov.in www.jda.Urban.Rajasthan. gov.in
Website for online Bid application and payment *	➢ Website: www.jda.Urban.Rajasthan. gov.in ➢ For participating in the Bid, the Bidder has to apply for this Bid and pay the Bidding Document fee, RISL Processing fee and bid security deposit online only. o Bidding document fee: Rs. 1000/- (Rupees One Thousand only) o RISL Processing Fee: Rs 1000/- (Rupees One Thousand only) o Requisite Bid Security Deposit RS. 426220- (Four Lac Twenty Six Thousand Two hundred twenty Only) In case EMD in form of BG, Original bank guarantee is to be submitted in room no. 15, Main block, jda, jaipur by date & time.
Estimated Procurement Cost	➢ INR 213.11 Lac (Two Hundred Thirteen Lac eleven thousand Only)
Bid Security Deposit	➢ Amount (INR) : 2% of Estimated Procurement Cost, 0.5% of S.S.I. of Rajasthan, 0.5% for Bidder registered as contractor in JDA, 1% for Sick Industries, other than S.S.I., whose cases are pending with Board of Industrial & Financial Reconstruction ➢ In case of Departments' of the State Government and Undertakings, Corporations, Autonomous bodies, Registered Societies, Cooperative Societies which are owned or controlled or managed by the State Government and Government Undertakings of the Central Government shall submit a bid securing declaration in lieu of bid security.
Applying Bid and Making Online Payment On JDA Portal www.jda.Urban.Rajasthan. gov.in	➢ start Date:-.27.07.18. at .... pm onwards ➢ End Date:-...15.08.18..at 5.00 pm
Bid Submission on e-procurement Portal of GOR (www.eproc.rajasthan.gov.in)	➢ start Date:-27.07.18... at .... pm onwards ➢ End Date:-..15.08.18....at 5.00 pm
Date/Time/Place of Technical Bid Opening	➢ 16.08.18 at 4.00 PM Room No. 15, Main Block, JDA, Jaipur.
Date/Time/Place of Financial Bid Opening	Will be intimated later to the technically qualified bidders
Bid Validity	➢ 120 days from the bid submission deadline

DC (Admn)

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Detail NIB for uploading on SPP Portal, e-Procurment, JDA Protal & as part of NIB Document

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

Room No. MB-15, Ram Kishore Vyas bhavan, Indira Circle, JawaharLal Nehru Marg, Jaipur- 302004
Telephone:+91-141-2569696 Extn. 7015

No:- JDA/EST./ ACTT./2018-19/ Date:

NOTICE INVITING BID

NIB NO. : DC(Admn.)-01/2018-19

Name & Address of the Procuring Entity	➢ Name: Jaipur Development Authority ➢ Address: Deputy Commissioner (Admn), Room No. 15 Main Block, Ram Kishore Vyas bhavan, Indira Circle, JawaharLal Nehru Marg, Jaipur- 302004
Subject Matter of Procurement	➢ Providing urban planners/Architects, G I.S Specialist & Auto CAD Operator Services
Period	➢ For One year
Bid Procedure	➢ Single Stage Two Part open competitive eBid procedure at http://eproc.rajasthan.gov.in
Websites for downloading Bidding Document, Corrigendum's, Addendums, etc.	➢ Website: www.sppp.rajasthan.gov.in www.eproc.rajasthan.gov.in www.jda.Urban.Rajasthan. gov.in
Website for online Bid application and payment *	➢ Website: www.jda.Urban.Rajasthan. gov.in ➢ For participating in the Bid, the Bidder has to apply for this Bid and pay the Bidding Document fee, RISL Processing fee and bid security deposit online only. o Bidding document fee: Rs. 1000/- (Rupees One Thousand only) o RISL Processing Fee: Rs 1000/- (Rupees One Thousand only) o Requisite Bid Security Deposit RS. 426220- (Four Lac Twenty Six Thousand Two hundred twenty Only) In case EMD in form of BG, Original bank guarantee is to be submitted in room no. 15, Main block, jda, jaipur by date & time.
Estimated Procurement Cost	➢ INR 213.11 Lac (Two Hundred Thirteen Lac eleven thousand Only)
Bid Security Deposit	➢ Amount (INR) : 2% of Estimated Procurement Cost, 0.5% of S.S.I. of Rajasthan, 0.5% for Bidder registered as contractor in JDA, 1% for Sick Industries, other than S.S.I., whose cases are pending with Board of Industrial & Financial Reconstruction ➢ In case of Departments' of the State Government and Undertakings, Corporations, Autonomous bodies, Registered Societies, Cooperative Societies which are owned or controlled or managed by the State Government and Government Undertakings of the Central Government shall submit a bid securing declaration in lieu of bid security.
Applying Bid and Making Online Payment On JDA Portal www.jda.Urban.Rajasthan. gov.in	➢ start Date:-27.07.18 at .... pm onwards ➢ End Date:-...15.08.18..at 5.00 pm
Bid Submission on e-procurement Portal of GOR (www.eproc.rajasthan.gov.in)	➢ start Date:-27.07.18... at .... pm onwards ➢ End Date:-15.08.18....at 5.00 pm
Date/Time/Place of Technical Bid Opening	➢ 16.08.18 at 4.00 PM Room No. 15, Main Block, JDA, Jaipur.
Date/Time/Place of Financial Bid Opening	Will be intimated later to the technically qualified bidders
Bid Validity	➢ 120 days from the bid submission deadline

DC (Admn)
उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

* Process for Participation & Depositing Payment Online

Jaipur Development Authority has decided to receive Earnest Money Deposit (EMD) (Bid Security), Tender Fee and RISL processing fee online through JDA Portal. The bid security options available in tender for participants are as mentioned below:

A. To participate in the bid, bidder has to be:

- Registered on JDA website www.jda.urban.rajasthan.gov.in (by depositing Rs. 500.00 online, the validity of which remains 3 (three) years).
- For participating in the Bid, the Bidder has to apply for this Bid and pay the Bid Document Fee, RISL Processing Fee and Bid Security Deposit, online only.
- Registered on e-Procurement Portal of Government of Rajasthan www.eproc.rajasthan.gov.in for online e-Bid submission.

B. Payment Options:

Option-1: Bank Guarantee (BG) against EMD / Bid Security

Bidder may opt Bank Guarantee (BG) against EMD (Bid Security), for which bidder requires to prepare BG before applying in the tender. The details of BG requires to be fed on JDA portal before paying balance amount (Tender Fee + RISL Processing Fee). This amount will be paid through **Payment Gateway only**, option to make balance payment through EFT (RTGS/NEFT) will not be available.

If bidder does not opt for BG against EMD, options of making complete payment through Payment Gateway or through EFT (NEFT / RTGS) will be available.

Option-2: Electronic Fund Transfer (EFT: NEFT/RTGS)

If the bidder selects payment mode as EFT (NEFT/RTGS), "**Paying Slip for EFT (NEFT/RTGS)**" will be generated by the system for the complete amount. The payment can be made from **any Bank any Branch** using this Paying Slip through NEFT/RTGS (Claim against payment made through EFT in any other JDA bank account will not be acceptable and bidder stands disqualified from participation in the bid applied for). After successful transaction through NEFT/RTGS, as per the standard procedures it may take 4 to 24 hours in process of confirmation of EFT through Auto-Process depending on the time of EFT done. Therefore, option to make payment through EFT (NEFT/RTGS) will be available till 48 hours prior to closing date of bid participation.

Option-3: Payment Gateway (Aggregator)

The facility to make payment through Debit Card, Credit Card, Net banking etc., will be available. User can use this facility from **anywhere any time** till the closing date & time of bid participation.

C. Bid Participation Receipt

After confirming payment, the bidder will get Bid Participation Receipt on the basis of which user will get the payment details along with other details for bidding on e-Procurement portal of GOR.

- In case of BG as the remaining payment will be done through Payment Gateway, on successful transaction the "**Bid Participation Receipt**" will be generated on real time basis.
- In case complete payment is done through Payment Gateway, on successful transaction the "**Bid Participation Receipt**" will be generated on real time basis.
- In case complete payment is done through EFT (NEFT/RTGS), on confirmation of payment from ICICI Bank (Auto Process) "**Bid Participation Receipt**" will be available on Login of Bidder on JDA portal.

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Note:

1. Bidder (authorised signatory) shall submit their offer on-line in Electronic formats both for technical and financial proposal.
2. In case, any of the bidders fails to pay the Tender Fee, BSD, and RISL Processing Fee, online (subject to confirmation), its Bid shall not be accepted.
3. To participate in online bidding process, Bidders must procure a Digital Signature Certificate (Type III) as per Information Technology Act-2000 using which they can digitally sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, Safecrypt, Ncode etc. Bidders who already have a valid Digital Signature Certificate (DSC) need not procure a new DSC. Also, bidders must register on http://eproc.rajasthan.gov.in (bidders already registered on http://eproc.rajasthan.gov.in before 30-09-2011 must register again).
4. JDA will not be responsible for delay in online submission due to any reason. For this, bidders are requested to upload the complete bid well advance in time so as to avoid 11th hour issues like slow speed; choking of web site due to heavy load or any other unforeseen problems.
5. Bidders are also advised to refer "Bidders Manual Kit" available at eProc website for further details about the e-Tendering process.
6. Training for the bidders on the usage of e-Tendering System (eProcurement) is also being arranged by DoIT&C, GoR on a regular basis. Bidders interested for training may contact e-Procurement Cell, DoIT&C for booking the training slot. Contact No: 0141-4022688 (Help desk 10 am to 6 pm on all working days) e-mail: eproc@rajasthan.gov.in Address : e-Procurement Cell, JDA, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur
7. The procuring entity reserves the complete right to cancel the bid process and reject any or all of the Bids.
8. No contractual obligation whatsoever shall arise from the bidding document/ bidding process unless and until a formal contract is signed and executed between the procuring entity and the successful bidder.
9. Procurement entity disclaims any factual/ or other errors in the bidding document (the onus is purely on the individual bidders to verify such information) and the information provided therein are intended only to help the bidders to prepare a logical bid-proposal.
10. The provisions of RTPPA Act 2012 and Rules thereto shall be applicable for this procurement. Furthermore, in case of any inconsistency in any of the provisions of this bidding document with the RTPP Act 2012 and Rules thereto, the later shall prevail.

Deputy Commissioner (Admn.)
Jaipur development Authority, Jaipur.
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, has decided to receive Bidding document fee, RISL Processing Fee and Bid Security Deposit (BSD) through online mode only for which the bidder has to get registered himself on JDA portal www.jda.urban.rajasthan.gov.in.

To participate in the bid, bidder has to be:

1. Registered on JDA website www.jda.urban.rajasthan.gov.in (by depositing Rs. 500.00 online, the validity of which remains 3 (three) years).
   For participating in the Bid, the Bidder has to apply for this Bid and pay the Bid Document Fee, RISL Processing Fee and Bid Security Deposit, online only.
2. Registered on e-Procurement Portal of Government of Rajasthan www.eproc.rajasthan.gov.in for online e-Bid submission.

Methods for depositing on line amount

Option-1: Bank Guarantee (BG) against EMD / Bid Security

Bidder may opt Bank Guarantee (BG) against EMD (Bid Security), for which bidder requires to prepare BG before applying in the tender. The details of BG requires to be fed on JDA portal before paying balance amount (Tender Fee + RISL Processing Fee). This amount will be paid through **Payment Gateway only**, option to make balance payment through EFT (RTGS/NEFT) will not be available.

If bidder does not opt for BG against EMD, options of making complete payment through Payment Gateway or through EFT (NEFT / RTGS) will be available.

Option-2: Electronic Fund Transfer (EFT: NEFT/RTGS)

If the bidder selects payment mode as EFT (NEFT/RTGS), "**Paying Slip for EFT (NEFT/RTGS)**" will be generated by the system for the complete amount. The payment can be made from **any Bank any Branch** using this Paying Slip through NEFT/RTGS (Claim against payment made through EFT in any other JDA bank account will not be acceptable and bidder stands disqualified from participation in the bid applied for). After successful transaction through NEFT/RTGS, as per the standard procedures it may take 4 to 24 hours in process of confirmation of EFT

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

through Auto-Process depending on the time of EFT done. Therefore, option to make payment through EFT (NEFT/RTGS) will be available till 48 hours prior to closing date of bid participation.

Option-3: Payment Gateway (Aggregator)

The facility to make payment through Debit Card, Credit Card, Net banking etc., will be available. User can use this facility from **anywhere any time** till the closing date & time of bid participation.

D. Bid Participation Receipt

After confirming payment, the bidder will get Bid Participation Receipt on the basis of which user will get the payment details along with other details for bidding on e-Procurement portal of GOR.

- In case of BG as the remaining payment will be done through Payment Gateway, on successful transaction the "**Bid Participation Receipt**" will be generated on real time basis.
- In case complete payment is done through Payment Gateway, on successful transaction the "**Bid Participation Receipt**" will be generated on real time basis.

In case complete payment is done through EFT (NEFT/RTGS), on confirmation of payment from ICICI Bank (Auto Process) "**Bid Participation Receipt**" will be available on Login of Bidder on JDA portal.

While participation in the bid, a receipt will be generated through the system showing the submission details as per Bid Participation Receipt (Sample Enclosed). The bidder is required to fill the instrument numbers for various heads on e-Procurement portal www.eproc.rajasthan.gov.in as mentioned in the receipt.

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Jaipur Development Authority

Bid Participation Receipt

Date & Time : 09/06/2015 05:13 PM

Bid Detail

Bid Id : 6215152001 **Procurement Entity :** XXXXXXXXXXXXX

Bid Title : Testing

Bid Value : 300000 **Bid Opening Place :** Manthan Hall, Jaipur Development Authority

Bidder Detail

Name of Entity :	XXXXXXXXXXX	Mobile:	9829012345
Registration Type:	Individual	Instrument Amount :	32500.00
Payment Mode:	Online/UTR	Payment Channel :	Payment Gateway/ICICI Branch - JDA
Instrument No :	456123789	Instrument Date :	17-06-2015

Dates Detail

Sr. No.	Event Name	Event Date
1	Publishing Date	01/06/2015 01:00 PM
2	Bid Opening Date	01/07/2015 03:00 PM

Specific Instrument Detail for eProc Rajasthan

Instrument Type: DD

Instrument Number	Head Name	Amount	Date
10000	Tender Fee	400.00	05/06/2015
10001	RISL Processing Fee	1000.00	05/06/2015
10002	Bid Security Deposit	30,000.00	05/06/2015

Issuer Detail : Jaipur Development Authority **ChallanNumber:** 641515600014

More details about Registration Process, Terms and Conditions and FAQ along with contact detail is available on JDA website www.jda.urban.rajasthan.gov.in.

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

<u>अनुसलग्नक प्रथम</u>

अरबन प्लानर/वास्तुविद, जी.आई.एस. विशेषज्ञ, आटोकैड ऑपरेटर की योग्यताएँ, कार्य क्षेत्र एवं निर्धारित दरों का विवरण :–

क्र.सं.	सेवा का नाम	योग्यता	कार्य क्षेत्र	दर (प्रतिमाह)
1.	अरबन प्लानर/ वास्तुविद	(I)टाउन/सिटी/अरबन/रिजनल/हाउसिंग/कन्ट्री/इन्वायरमेन्टल/ट्रांसपोर्ट/इन्फ्रास्ट्रक्चर/रूरल में आयोजना में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ आयोजना के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव एवं स्नातक की उपाधि के साथ आयोजना के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।	नियमन संबंधी प्रकरणों का स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। जविप्रा की विभिन्न योजनाओं के ले–आउट तैयार करना, निजी/गृ.नि.स. समिति की योजनाओं का आयोजना/तकनीकी दृष्टि से परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रस्ताव तैयार करना, भवन निर्माण स्वीकृति हेतु अनुमोदन के प्रकारणों का परीक्षण व कार्यवाही, लीज डीड हेतु स्थल मानचित्र तैयार करवाना, जविप्रा के नगर नियोजन संबंधी समस्त प्रकरणों का परीक्षण कर नियमानुसार मानदण्डो के अनुसार राय/सुझाव/टिप्पणी देना।	35000/–
		(II) आर्किटेक्चर में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक की उपाधि के साथ आर्किटेक्चर के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।		30000/–
2.	जी.आई.एस विशेषज्ञ	(I) जियोग्राफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम/रिमोट सेन्सिंग जियोइन्फोर्मेटिक्स में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ जियोग्राफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम के क्षेत्र व सॉफ्टवेयर में कार्य का संबंधित निकायों में अथवा उल्लेखित कार्य क्षेत्र में निजी स्तर पर पांच वर्ष का अनुभव	जविप्रा से संबंधित समस्त रिजनल प्लान, मास्टर प्लान, जोनल प्लान, सैक्टर प्लान, बेस मेप आदि अन्य मानचित्र/प्लान तैयार करने का कार्य, राजस्व मानचित्रों का उपरोक्त तकनीकी मानचित्रों पर सुपरइम्पोजिशन का कार्य व अन्य समस्त आयोजना शाखा से संबंधित तकनीकी कार्य।	30000/–
		(II) जियोग्राफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम/रिमोट सेन्सिंग जियोइन्फोर्मेटिक्स में डिप्लोमा के साथ जियोग्राफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम के क्षेत्र व सॉफ्टवेयर में कार्य का संबंधित निकायों में अथवा उल्लेखित कार्य क्षेत्र में निजी स्तर पर पांच वर्ष का अनुभव।		21000/–

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

3.	आटो कैड ऑपरेटर	ड्राफ्टसमैनशिप में आई.टी.आई. /आर्किटेक्चर में डिप्लोमा/इन्टिरियर डिजाईन में डिग्री अथवा डिप्लोमा के साथ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।	जविप्रा/निजी/गृ.नि.स. समिति की विभिन्न योजनाओं के ले-आउट प्लान तैयार करना अथवा क्षेत्रफल विश्लेषण की गणना करना, भवन निर्माण स्वीकृति हेतु अनुमोदन के प्रकरणों में क्षेत्रफल गणना की जांच करना, लीज डीड हेतु स्थल मानचित्र तैयार करना व जविप्रा के नगर नियोजन संबंधी समस्त प्रकरणों में क्षेत्रफल विश्लेषण, तकनीकी कार्यो में ऑटोकैड संबंधित कार्य करना।	15000/-

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

हस्ताक्षर निविदादाता (मय सील)

अनुसंलग्नक - द्वितीय

राजस्थान सरकार

वित्त (G&T) विभाग

क्रमांकः एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017

जयपुर, दिनांक 30/04/2018

संख्या ..1../2018

परिपत्र

विषयः— राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश बाबत।

संदर्भः— एकलपीठ याचिका संख्या 372/2013 अनोख बाई व 1 अन्य बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11.08.2016

राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि कतिपय मामलों में उपापन संस्थाओं द्वारा यह सुनिश्चित करने के पूर्ण प्रयास नहीं किए जाते हैं कि श्रम नियोजित श्रमिकों को नियमानुसार देय न्यूनतम मजदूरी नियमित रूप से प्राप्त होती रहे, जिससे इस प्रकार के प्रकरणों में श्रम नियोजित श्रमिकों के शोषण की संभावना बनी रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा सन्दर्भित निर्णय में इस बिन्दु को ध्यान में रखते हुए विस्तृत निर्देश प्रदान किए गए हैं।

माननीय न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय की पालना में समस्त उपापन संस्थाओं को एतद्द्वारा यह निर्देश दिए जाते हैं कि राज्य सरकार की विभिन्न उपापन संस्थाओं के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं एवं संकर्मों के संपादन में कार्यरत मानव संसाधन को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियमों की पूर्ण पालना की जानी अनिवार्य है तथा उपापन संस्था द्वारा विभिन्न सेवाओं के संपादन में आवश्यकतानुसार मानव संसाधन हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियमों में प्रावधित उपापन की विभिन्न रीतियों में से उपयुक्त रीति का चयन करते हुए किया जाएगा परन्तु प्लेसमेन्ट ऐजेन्सीज के माध्यम से मानव संसाधन का उपापन नहीं किया जाएगा।

उपापन संस्था द्वारा उक्तानुसार विभिन्न सेवाओं के संपादन में कार्यरत मानव संसाधन की उपापन प्रक्रिया हेतु बोली दस्तावेजों में अन्य आवश्यक बिन्दुओं के साथ—साथ निम्नांकित विशिष्ट बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से समावेश किया जायेगा—

(i) बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा :—

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आय कर (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

(ii) जॉब बेसिस पर सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेंगीः–

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सामग्री राशि / उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर	श्रमिकों की संख्या	राशि					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		1. अकुशल 2. अर्द्ध कुशल 3. कुशल 4. उच्च कुशल								

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1 से 7 तक की पूर्तियां सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा ही की जाकर बोली दस्तावेज में ही अंकित कर उपलब्ध कराई जायेंगी तथा केवल स्तम्भ संख्या 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जा सकेंगी)

(iii) संवेदक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेंगीः–

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. अकुशल– 2. अर्द्ध कुशल– 3. कुशल– 4. उच्च कुशल–						

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1–4, 6 व 7 की पूर्तियां सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही उपलब्ध कराई जायेंगी तथा शेष स्तम्भ संख्या 5, 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जा सकेगी)

(iv) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

(v) राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

(vi) यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (Part-time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड सम्बन्धी कार्रवाई की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेंगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।

(vii) संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

(viii) श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

(ix) श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

(x) संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

(xi) संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

(xii) राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी. एफ एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

(xiii) संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(xiv) श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वंय उतरदायी होगा।

(xv) यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(xvi) नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(xvii) कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(xviii) यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

(xix) यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले सम्बन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

(xix) उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अध्यधीन अन्य आवश्यक शर्तों के साथ–साथ उक्तानुसार शर्तों को बोली दस्तावेजों में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना सुनिश्चित करें ताकि श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना की जा सके। उक्तानुसार शर्त संख्या (iii) से (xix) का समावेश सफल बोलीदाता/संवेदक से किए जाने वाले अनुबन्ध में अनिवार्य रूप से किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की उदासीनता को राज्य सरकार द्वारा अत्यन्त गंभीरता से लिया जायेगा।

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव,
वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतुः–

1. अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव (समस्त)
2. विभागाध्यक्षगण (समस्त)
3. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग
5. वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी (समस्त)
6. उपापन संस्थाएं (समस्त)
7. एसपीपीपी पोर्टल पर प्रकाशनार्थ
8. अति. निदेशक (कम्प्यूटर्स) वित्त विभाग, को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ

संयुक्त शासन सचिव
वित्त (G&T) विभाग

जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

अरबन प्लानर्स/वास्तुविद, जी.आई.एस. विशेषज्ञ एवं आटोकैड ऑपरेटर्स की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु निविदा

–:निविदा की शर्तें:–

ए– निविदा प्राप्ति हेतु वांछित योग्यताएं:–

1. The bidder should be a company registered under Indian companies Act, 1956 or a partnership firm registered under Indian Partnership Act, 1932 or a Proprietorship firm registered under the Rajasthan Shops and Commercial Establishments Act, 1958/Amended or a similar Act of any other State/Union. bidder should attach the Copy of Certificate(s) of incorporation/Copy of Registration Certificate (s)
2. Joint ventures or Consortiums are NOT allowed to bid or meet the eligibility criterion. Bidder should bid on its own strength and meet all eligibility criteria. The Bidder is requried to furnish a self-declaration on letter head.
3. निविदादाता के पास Income Tax(Pan No.) ई.एस.आई., ई.पी.एफ., जी.एस.टी. का पंजीयन एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक अधिनियम 1958 के अन्तर्गत लाईसेन्स, श्रमविभाग द्वारा जारी Contract labour(Regulation and abolition) act 1970 के अन्तर्गत लाईसेन्स एवं अन्य बांछित लाइसेन्स होना आवश्यक है।
4. निविदादाता को किसी भी सरकारी/अर्द्वसरकारी/निगम/बार्ड प्राधिकरण में अरबन प्लानर्स/वास्तुविद्, जी.आई.एस. विशेषज्ञ, कैड ऑपरेटर सेवाएं उपलब्ध कराने का किन्ही 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक हैं।
5. निविदादाता फर्म का गत 3 वर्षो में प्रतिवर्ष कम से कम **30.00 लाख** का टर्नओवर होना आवश्यक हैं, जिसमे से **10.00 लाख** रूपये का न्यूनतम टर्नओवर अरबन प्लानर्स/वास्तुविद, जी.आई.एस. स्पेशलिस्ट एवं आटोकैड ऑपरेटर सेवाएं उपलब्ध कराने से सम्बंधित होना चाहिए। निविदादाता को गत 3 वर्षो 2015–16, 2016–17, 2017–18 की आडिटेड बैलेन्स शीट/ चार्टेड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
6. Rajasthan Transparency in public procurement Act-2012 and Rules 2013 प्रावधानों के तहत् निविदा प्रपत्र एवं निविदा के साथ संलग्न समस्त प्रपत्र बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर कर प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।

बी– अन्य शर्ते :–

1. निविदा की अवधि निविदा स्वीकृति से एक वर्ष की अवधि हेतु होगी।
2. अरबन प्लानर्स/वास्तुविद, जी.आई.एस. विशेषज्ञ एवं आटोकैड ऑपरेटर की योग्यताएँ एवं कार्य क्षेत्र **अनुसलग्नक प्रथम** के अनुसार होगा।
3. ई.पी.एफ./ई.एस.आई व अन्य राजकीय अधिनियमों की पालना सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी निविदादाता की हेागी। नियमानुसार पी.एफ./ई.एस.आई. सम्बन्धित विभाग में जमा कराने का दायित्व निविदादाता का रहेगा। आगामी माह का भुगतान गत माह की पी.एफ/ई.एस.आई./जी.एस.टी राशि जमा कराने के साक्ष्यो के पश्चात ही देय होगा।
4. जी.एस.टी लागू होने पर जी.एस.टी. का भुगतान नियमानुसार पृथक से देय होगा।
5. अनुबन्धित कन्सलटेन्ट फर्म को निविदा में अनुमानित राशि के बराबर भाग के अनुरूप नियमानुसार 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा कराया जाना आवश्यक है।
6. उक्त सेवाऐ उपलब्ध कराने हेतु एक से अधिक कन्सलटेन्ट फर्म को एम्पेनल किया जा सकता है। एक से अधिक कन्सलटेन्ट फर्मो को अनुबंधित किये जाने पर कार्यादेश रोस्टर प्रणाली से जारी किया जावेगा।
7. सफल निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली, सेवाओ से सम्बन्धित कर्मियों का शैक्षणिक/अनुभव बाबत् दस्तावेज/पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा।
8. सफल निविदादाता को कार्यादेश देने पर दी गई समय सीमा में आवश्यतानुसार सेवाएं उपलब्ध करानी होगी। विलम्बित अवधि के लिए प्रतिदिन प्रति कर्मी 500/– रू. की दर से पैनल्टी राशि वसूली योग्य होगी।
9. कार्य सम्पादन के दौरान किसी को कोई शारीरिक एवं मानसिक क्षति होती है अथवा कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित कन्सलटेन्ट फर्म की होगी एवं कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व अनुबन्धित फर्म का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

10. **वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र संख्या 1/2018 क्रमांकः एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 में अंकित समस्त बिन्दु लागू होगें। परिपत्र अनुसंलग्नक–द्वितीय पर देखें।**
11. सेवाओं की मात्रा जविप्रा की आवश्यकतानुसार बढाई/कम की जा सकती है। वर्ष भर के दौरान कार्य की न्यूनतम राशि/मात्रा की कोई गांरण्टी नही होगी।
12. खुली बोली आमंत्रण प्रपत्र मे प्राप्त बोलियों के मूल्याकंन का आधार न्यूनतम बोलीदाता के आधार पर किया जावेगा।
13. सम्बन्धित सेवाओं के कार्य कराने की जिम्मेदारी संबंधित कन्सलटेन्ट फर्म की होगी।
14. कन्सलटेन्ट फर्म का कार्य संतोषप्रद नही पाये जाने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लघंन करने पर अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जा सकेगा एवं ऐसी कन्सलटेन्ट फर्म को नियमानुसार ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही भी की जा सकेगी।
15. निविदादाता को उपरोक्त "ए" में वांछित योग्यताओं संबंधी आवश्यक प्रमाण–पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करने होगे।
16. टेण्डर शुल्क, निविदा प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाईन ही जमा करवाना अनिवार्य होगा। इनके ऑनलाईन जमा के अभाव में टेण्डर निरस्त माना जायेगा। बोली प्रतिभूति बैंक गारंटी के माध्यम से भी जमा करवायी जा सकेगी।
17. किसी बिन्दु पर विवाद होने पर आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा। विवादों के लिए न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
18. सेवाओं का भुगतान संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा किये गये प्रमाणीकरण के आधार पर किया जावेगा।
19. अनुबन्धित फर्म द्वारा प्रतिमाह पॉच तारीख तक बिल प्रस्तुत किया जावेगा। पारिश्रमिक समय पर भुगतान की जिम्मेदारी अनुबन्धित फर्म की होगी। समय पर भुगतान नही करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। पारिश्रमिक भुगतान अनिवार्य रूप से सम्बन्धितों के बैंक खातो में ही किया जायेगा तथा जमा करायी गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। इस बाबत सन्तुष्टि होने पर ही आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
20. किसी भी निविदा/निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत/स्वीकृत करने का अधिकार जविप्रा, जयपुर को होगा।
21. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा में किसी भी शर्त को जोड़ने या हटाने का अधिकार निविदादाता को नही होगा।
22. यदि प्रस्ताव, जिस पर बोली आंमत्रित की गई है, तकनीकी कारणो, बोलीदाता की गलती अथवा अन्य किसी भी कारण से ई–पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होते हैं, तो सम्बन्धित बोलीदाता की बोली स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।
23. ALL the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act.2012 and Rules 2013 will be applicable on this tender if there is any contractions in existing conditions, then provision of The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act.2012 and Rules 2013 shall be applicable.
24. अनुबन्ध की अवधि The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act.2012 and Rules 2013 के अन्तर्गत आपसी सहमति से नियमानुसार बढायी जा सकेगी।
25. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act.2012 की धारा–38 के अनुसार अपील करने पर Annexure-C एवं फार्म संख्या–1 भरकर एवं हस्ताक्षरित कर प्रकियानुसार सक्षम अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
26. बोली पूर्व स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण उपायुक्त (प्रशासन) से प्राप्त किया जा सकता है, लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्ति हेतु निविदा सूचना प्रकाशित होने/Portal पर अपलोड करने के 7 दिवस के अन्दर लिखित प्रार्थना–पत्र सदस्य सचिव, कय समिति कमरा नं. 15 जविप्रा, जयपुर को प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रत्युत्तर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से 3 कार्य दिवस में दे दिया जावेगा। प्रार्थी को दिया गया स्पष्टीकरण एवं बोली प्रपत्र मे किसी प्रकार का परिवर्तन होगा तो SPPP Portal पर प्रदर्शित कर दिया जावेगा।(नियम 46 एवं 47)
27. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act.2012 प्रावधानों के अनुसार निविदाकर्ता संस्था के अधिकारियों/कार्मिको द्वारा एवं समस्त Bidders द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

28. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act.2012 के section-38 के तहत् कोई भी Bidder अथवा Proposed Bidder जिसे यह प्रतीत होता है, कि इस Bid का कोई प्रावधान या कृत्य इस अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी अति. मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, के समक्ष अपील कर सकता है। साथ ही समान उद्देश्य (अपील) के लिए प्रावधान अनुसार द्वितीय अपील अधिकारी नामांकित अधिकारी वित्त विभाग राज. जयपुर है।

29. अधिनियम में वर्णित अनुसार प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु निर्धारित फीस रूपये 2500/- है, जो अपीलकर्ता को अपील के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में (जो सचिव, जविप्रा, जयपुर के नाम देय हो) संलग्न करनी होगी। द्वितीय अपील अधिकारी के सक्षम अपील करने हेतु फीस रूपये 10000/- निर्धारित हैं।

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

हस्ताक्षर निविदादाता (मय सील)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भाग–(अ) तकनीकि निविदा

जयपुर विकास प्राधिकरण में अरबन प्लानर्स/वास्तुविद, जी.आई.एस.स्पेशलिस्ट एवं ऑटोकैड ऑपरेटर की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु बोलीदाता की योग्यताऐं एवं सामान्य शर्ते :–

(A)

क्र.सं.	तकनीकी योग्यताऐं	वांछित प्रपत्र
1.	कम्पनी/फर्म का नाम, पता, रजिस्ट्रेशन नं., दूरभाष नम्बर	रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित कर संलग्न करना है।
2.	बोलीदाता को किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी /निगम बोर्ड/प्राधिकरण में अरबन प्लानर्स/वास्तुविद, जी.आई. एस.स्पेशलिस्ट एवं ऑटोकैड ऑपरेटर सेवाऐं उपलब्ध कराने का किन्हीं 3 वर्षो का अनुभव आवश्यक है।	कार्यादेशों/अनुभव प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न की जानी है।
3.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र	स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी है।
4.	श्रम विभाग द्वारा जारी Contract Labour Licence होना आवश्यक है।	श्रम विभाग द्वारा जारी Contract Labour Licence की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी है।
5.	बोली प्रतिभूति राशि रू. 426220/– लाख जमा का विवरण।	विवरण संलग्न किया जाना है।
6.	संलग्न Annexure- A,B,C & D के अनुसार घोषणा पत्र।	हस्ताक्षरित संलग्न किया जाना है।
7.	बोलीदाता फर्म को ई.एस.आई एवं पी.एफ. विभाग में पंजीकृत होना चाहिए।	ESI एवं PF विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी है।
8.	बोलीदाता को गत 3 वित्तीय वर्षो 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 का प्रतिवर्ष न्यूनतम टर्नओवर रूपये 30 लाख होना चाहिए। जिसमें से 10.00 लाख रू. का न्यूनतम टर्नओवर अरबन प्लानर्स/वास्तुविद, जी.आई.एस स्पेशलिस्ट एवं ऑटोकैड ऑपरेटर सेवाऐं उपलब्ध कराने से सम्बन्धित होना चाहिये।	टर्नओवर के सम्बन्ध में चार्टड अंकाउटेट का प्रमाण पत्र अथवा चार्टेड अकाउटेन्ट द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट की छायाप्रति संलग्न की जानी है तथा कुल टर्नओवर में से 10.00 लाख का टर्नओवर अरबन प्लानर्स/वास्तुविद, जी. आई.एस स्पेशलिस्ट एवं ऑटोकैड ऑपरेटर की सेवाऐं उपलब्ध कराने से सम्बन्धित होने बाबत सी.ए. का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है।
9.	बोलीदाता के पास स्वंय का अथवा फर्म का पेन नम्बर होना आवश्यक हैं	पेन कार्ड की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी है।
10.	बोलीदाता फर्म को किसी राजकीय संस्था/बोर्ड/ कॉरपोरेशन से ब्लेक–लिस्टेड अथवा डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।	बोलीदाता को इस सम्बन्ध में रूपये 100.00 के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ–पत्र प्रस्तुत करना है।
11.	बोलीदाता Joint Ventures or Consortiums नही होने चाहिये।	कम्पनी/फर्म के लेटर हैड पर इस बाबत स्वघोषणा प्रस्तुत की जानी है।
12.	बोलीदाता का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।	बोलीदाता को जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

(B) बोलीदाता / संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा :–

क्र.सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थन अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)				
5	आय कर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इंण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इंण्डिन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

नोट :– **तकनीकी योग्यताओं को पूर्ण करने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियॉ ही खोली जावेगी। तकनीकी योग्यताओं में योग्य नही पाये जाने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियॉ नही खोली जावेगी।**

मैं.. पुत्र श्री..सत्यापित कता हूँ कि उपरोक्त अंकित / संलग्न विवरण सत्य हैं तथा निविदा प्रपत्र की सभी शर्ते स्वीकार है।

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

बोलीदाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम व पता.................................

....

दुरभाष एवं मो.नं.......................................

बोलीदाताओं के लिये निर्देशः–

1. निविदादाता द्वारा निविदा, वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.jda.urban.rajasthan.gov.in से डाउनलोड की जावेंगी।
2- ई–उपापन पद्धति से www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की गई निविदा ही स्वीकार की जावेगी। निविदा को अपलोड करने से पूर्व निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर डिजिटल हस्ताक्षर आवश्यक है। निविदा प्रपत्र के साथ बोली प्रपत्र शुल्क रू. 1000/–, RISL प्रकिया शुल्क रू. 1000/– एवं बोली प्रतिभूति राशि 4,26,220/– आनलाईन निर्धारित खातो में Transfer कर बिडप्रपत्र के साथ स्कैन कर अपलोड करना होगा। बोली प्रतिभूति BG के माध्यम से जमा कराने पर, सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय मूल Bank Guarantee निर्धारित तिथि एवं समय तक कमरा नम्बर–15, मुख्य भवन, जविप्रा में जमा करानी होगी।
3- बोली ऑन लाईन ई–उपापन पद्धति के माध्यम से Single stage (Two-part) पद्धति **से प्राप्त की जावेगी। तकनीकि बिड में योग्य पाए जाने वाले बोलिदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।**
4- तकनीकि निविदा प्रपत्र के क्र.सं.–1 से 12 तक उल्लेखित समस्त दस्तावेजो की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ अपलोड करनी होगी।
5- अनुबन्धित अनुमोदित फर्म/ऐजेन्सी द्वारा, निविदा संबंन्धित कार्य किसी अन्य ऐजेन्सी को सबलेट नही किया जा सकेगा।
6- सफल बोलीदाता को स्टाम्प ड्यूटी एक्ट के नियमानुसार निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
7- अरबन प्लानर/वास्तुविद जी.आई.एस. स्पेशलिस्ट एवं आटोकैड आपरेटर सेवाओं हेतु योग्यता एवं कार्यक्षेत्र अनुसंलग्नक–प्रथम के अनुसार हैं। जविप्रा की आवश्यकतानुसार सेवाओं की मात्रा में बढोतरी/कमी की जा सकती है। वर्ष भर के दौरान सेवाओं की न्यूनतम राशि/मात्रा की कोई गारण्टी नही है।
8- सभी योग्य निविदादाताओं को वित्तीय निविदा खाले जाने की तिथी सूचित की जावेगी। वित्तीय निविदा सभी योग्य निविदादाताओं/उनके प्रतिनिधियों, (जो उपस्थित रहना चाहते है) के समक्ष खोली जावेंगी।
9- निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी नियम एवं शर्तो की सहमति स्वरूप निविदादाता को इनके प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर मय मोहर करने चाहिये/समस्त दस्तावेजों को स्वप्रमाणित कर अपलोड किया जाना चाहिये।

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

हस्ताक्षर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अरबन प्लानर/वास्तुविद, जी.आई.एस. विशेषज्ञ एवं आटोकैड आपरेटर की सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु निविदा (2018–19)

(भाग–ब)

वित्तीय प्रस्ताव

क्र.सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	जविप्रा की कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित मासिक दर (अधिकतम)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर प्रतिमाह	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अरबन प्लानर/ वास्तुविद्	उच्च कुशल–25	7358/– प्रतिमाह	रू. 35000 (अनुसंलग्न प्रथम के क्रम संख्या 1(I) में अंकित योग्यता अनुसार)		13 प्रतिशत	4.75 प्रतिशत		
				रू.30000 (अनुसंलग्न प्रथम के क्रम संख्या 1(II) में अंकित योग्यता अनुसार)		13 प्रतिशत	4.75 प्रतिशत		
2	जी.आई.एस. विशेषज्ञ	उच्च कुशल–5	7358/– प्रतिमाह	रू. 30000 (अनुसंलग्न प्रथम के क्रम संख्या 2(I) में अंकित योग्यता अनुसार)		13 प्रतिशत	4.75 प्रतिशत		
				30 रू. 21000 (अनुसंलग्न प्रथम के क्रम संख्या 2(II) में अंकित योग्यता अनुसार)		13 प्रतिशत	4.75 प्रतिशत		
3	ऑटोकैड ऑपरेटर	उच्च कुशल–25	7358/– प्रतिमाह	रू. 15000 (अनुसंलग्न प्रथम के क्रम संख्या 3 में अंकित योग्यता अनुसार)		13 प्रतिशत	4.75 प्रतिशत		

नोट :–

1. कॉलम संख्या 6, 9 व 10 की पूर्ति बोलीदाता द्वारा आवश्यक रूप से की जानी है।
2. यदि जी.एस.टी लागू है तो जी.एस.टी. का भुगतान नियमानुसार पृथक से देय होगा।
3. कन्सलटेन्सी फीस न्यूनतम 1 प्रतिशत एवं अधिकतम 7.50 प्रतिशत होगी। जिसका उल्लेख बोलीदाता द्वारा कालम संख्या–9 में आवश्यक रूप से दिया जाना है। कन्सलटेन्सी फीस अंको एवं शब्दो में अंकित करनी होगी। अंको एवं शब्दों में अन्तर तथा किसी प्रकार की कोई कॉट–छॉट एवं ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी।
4. बोली के साथ संलग्न शर्तो एवं कार्यविवरण के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

बोलीदाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम व पता.................................
....
दूरभाष एवं मो.नं.................................

FROM No. 1
[see rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public procurement Act. 2012

Appeal No..of ....Before the .... (First /second Appellate authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s) :
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed Against and name and designation of the Office/ authority who passed the order (Enclose copy), or a statement of a decision, Action or omission of the procuring Entity In contravention to the provisions of the Act By which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant propose to be represented by a representative the name and postal address Of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed With the appeal:
6. Grounds of appeal: ....
   (Supported by an affidavit)
7. Prayer: ....

Place:...

Date:..

DC(Admin)
JDA, Jaipur
उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Appellant's Signature

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage the procurement process;
(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) Disclose conflict of interest, if any; and
(h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest. -

The Bidder participating in a bidding process must no have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to :
    (a) Have controlling partners/shareholders in common; or
    (b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any them; or
    (c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or
    (d) Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
    (e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
    (f) The bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, works or service that subject of the bid; or
    (g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

DC(Admin)
उपायुक्त (प्रशासन)
JDA, Jaipur
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Signature of Bidder

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my / our Bid submitted to .... for procurement or .... in response to their Notice inviting Bids No................ dated...................... I/we .... hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry:
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payble to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer] not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of Bidde

Name :

Designation :

Address :

DC (Admin)
JDA,Jaipur

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the first Appellate Authority is..................................

The designation and address of the Second Appellate Authority is ....

(1) Filing an appeal :-

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases :-

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely :-

(a) Determination of need of procurement
(b) Provisions Limiting participation of bidders in the bid process
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations
(d) Cancellation of a procurement process
(e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) From of Appeals :-

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed from along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or though registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing Appeal :-

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

(7) Procedure for disposal of appeal :-

(a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing

(b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority of second appellate authority, as the case may be shall-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant record or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause © above shall also be placed on the state public procurement portal.

DC(Admin)
JDA, Jaipur

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Signature of Bidder(in case of appeal)

Annexure D : Additional Conditions of contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis :

i. If there is a discrepancy between the unit price and thebe total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(1) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the bidding document.

(2) In case of procurement of Goods or service, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods/services of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest. Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर